न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/एलआर/1798/2006/जयपुर

श्रीमती विमलादेवी पत्नि हनुमानसहाय जाति नाई निवासी ग्राम सांझरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर

.....रेस्पोडेंट

एकल पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य

उपस्थितः–
श्री सी.पी.शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांकः– 14–08–2020

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–01–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान भू राजस्व निजी वन विकास हेतु अकृष्य भूमि आवंटन नियम 1986 के अन्तर्गत सहायक जिला कलक्टर चाकसू के आदेश दिनांक 29–05–1989 को ग्राम सांझरिया स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 233 में से रकबा 4 बीघा भूमि गैरमुमकिन नदी की भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन किया गया। आवंटी द्वारा शर्तो की अक्षरश पालना नहीं किए जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) ने आदेश दिनांक 30–08–2002 द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय असंतुष्ट

होकर अपीलान्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 07–01–2006 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलांट की ओर से यह विचाराधीन अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस अपील के संबंध में पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। मामले में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मौके के विपरीत प्रस्तुत की गई है। उनका कहना है कि अपीलान्ट ने आवंटन शर्तो की पूर्णरूपेण पालना की है तथा मौके पर पेड लगाये गये है लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण लगाये गये वृक्ष नष्ट हो गए। उनका तर्क है कि अपीलान्ट ने काफी मेंहनत आराजी पर वृक्ष लगाए है। उनका तर्क है कि आवंटी ने राज्य सरकार के समस्त नियमों की अक्षरश पालना की है तथा आवंटन में किन्हीं तथ्यों को छिपाया नहीं गया है। इस कारण आवंटी को नियमों का दोषी नहीं माना जा सकता। उनका तर्क है कि मामले में निष्पादित मौका कमीश्नर रिपोर्ट से यह स्पष्ट प्रमाणित आवंटी ने आवंटित भूमि पर पेड लगवा कर विकसित किया है। उनका यह भी तर्क है कि आवंटित रकबे पर पूर्व में आवंटी काबिज थी। इसके अतिरिक्त आवंटित भूमि डूब क्षेत्र में नहीं आने के कारण उस पर काश्त किया जाना सम्भव है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–01–2006 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–08–2002 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 29–05–1989 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है।

5. विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधिसम्मत है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट ने किन्हीं ऐसे नवीन तथ्यों का समावेश नहीं किया है, जिसके आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत पारित किए गए विधि सम्मत निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। उन्होंने कहा कि अपीलान्ट ने अपने पक्ष में हुए आवंटन के पश्चात शर्तो की पूर्णरूपेण पालना नहीं की है। जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट से होती है। उनका तर्क है कि उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलान्ट को शर्तो का उल्लंघन का दोषी मानते हुए आवंटित रकबे को निरस्त किया गया है। उक्त तथ्यात्मक स्थिति में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होकर यथावत रखे जाने योग्य है। अंत में उन्होंने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर जिला आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है।

6. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश का अवलोकन किया।

7. प्रश्नगत प्रकरण में राजस्थान भू राजस्व निजी वन विकास हेतु अकृष्य भूमि आवंटन नियम 1986 के अन्तर्गत दिनांक 29-05-1989 को अपीलान्ट के पक्ष में ग्राम सांझरिया तहसील सांगानेर स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 233 में से 4 बीघा गैरमुमकिन नदी की भूमि का आवंटन किया गया। आवंटी द्वारा शर्तो की अक्षरश पालना नहीं किए जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त जिला कलक्टर ने आदेश दिनांक 30-08-2002 द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 21-11-2005 द्वारा खारिज की है।

8. मामले का विधिक दृष्टि से सम्यक परीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि आवंटी ने आवंटन की तिथि के बाद वर्ष 1991 से 2002 तक की अवधि में आवंटित भूमि पर वन विकास करने का किसी प्रकार का कोई सम्यक प्रमाण आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आवंटी ने मौके पर शर्तो की पालना में वृक्ष नहीं लगाए हैं तथा सम्भवतया वर्तमान में आवंटित रकबा खाली होना पाया जाता है। अतः आवंटी ने शर्तो की पूर्ण रूप से पालना नहीं किए जाने के कारण शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया है। विधिक स्थिति यह है कि वन विकास आवंटन नियम 1986 के नियम 18 के तहत यदि आवंटी द्वारा धोखाधडी, गलत तथ्य अंकित कर आवंटन कराया गया है तथा आवंटन पश्चात कालान्तर में शर्तो की पालना सुनिश्चित नहीं करता है तो ऐसे आवंटन को विधि विरूद्ध माना जाकर कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अतएव् उपलब्ध रेकार्ड तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय स्थापित नियमों के अनुसार विधि सम्मत पाये जाते है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थी ने मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। अतः हमारी सुविचारित राय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन पाये जाने के कारण निरस्त की जाकर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखा जाना समीचीन है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांक 07-01-2006 यथावत रखा जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनीता श्रीवास्तव)
सदस्य